FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सूरजगढ

प्रार्थना पत्र सं....192/2021 अन्तर्गत धारा **212 RT ACt**

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सूरजगढ **बनाम** **अरविन्द शर्मा पुत्र भाताराम व अन्य शेष जमाबंदी**

आदेश दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02.09.21	यह प्रार्थना पत्र तहसीलदार सूरजगढ (पैरोकार सरकार) द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया। पैरोकार सरकार तहसीलदार सूरजगढ ने अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पर सुने जाने का निवेदन किया गया। पैरोकार सरकार तहसीलदार सूरजगढ को एक पक्षीय सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अतः अप्रार्थीगण को आगामी तारीख पेशी तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त आराजियात भूमि हाल खसरा नम्बर 148 किता 1 कुल रकबा 2.37 है0, वाके ग्राम जाखोद को **किसी दीगर व्यक्ति को रहन, बैय, बेचान या हस्तांतरण नही करे तथा मौके एवं राजस्व रिकार्ड** की यथास्थिति बनाये रखे। आदेश 39 नियम 3 सीपीसी की पालना सुनिश्चित करे। न्यायालय आवेदनकर्ता से यह अपेक्षा करता है कि वह विपरित पक्षकार को आदेश की प्रति सुपुर्दगी स्पीड पोस्ट (SPEED POST) द्वारा करें, तथा व्यादेश के आवेदन की प्रति के साथ प्रस्तुत किये गये शपथ पत्र, वाद पत्र, व दस्तावेज जिन पर आवेदक भरोसा करता है इनकी प्रति भी भेजे। पत्रावली वास्ते तलबी दिनाक 01.10.2021 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़	

1/10/21 पत्रावली पेश हुवी। सरकारी पैरोकार उपस्थित। सरकारी पैरोकार ने बताया कि राजस्व सेवा परिषद् संघ द्वारा कार्य बहिष्कार होने के कारण व्यक्तिशः तामील करवाया जाना सम्भव नहीं है इसलिए तहसील कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा। पंचायत समिति नोटिस बोर्ड। सम्बन्धित ग्राम पंचायत या नगरपालिका नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया एवं अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिये जाते है कि उक्त समस्त नोटिस बोर्डों पर चस्पा किये जावे तथा चस्पानगी की रिपोर्ट तारीख पेशी में आवश्यक रूप से पेश करें। पत्रावली वास्ते तामील दिनांक 26-10-2021 को पेश हो।

उपखण्ड अ... ...जगढ़

26/10/21 पत्रावली पेश हुवी। सरकारी पैरोकार उपस्थित। सरकारी पैरोकार ने तहसील कार्यालय नोटिस बोर्ड, पंचायत समिति नोटिस बोर्ड एवं ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर तामीली नोटिस चस्पानगी की रिपोर्ट पेश की जो शामिल पत्रावली किया गया। तामील पर्याप्त है परन्तु नैसर्गिक प्राकृतिक न्याय में डुग्गी पिटवाई जावे। पत्रावली वास्ते डुग्गी पिटवाई जाने की रिपोर्ट बाबत दिनांक 18-11-2021 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत ____________________ मुकाम ____________________

____________________ बनाम ____________________

मुकदमा ____________________ नं ____________________ सन् ____________________

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए ।
[illegible]/21)	पत्रावली पेश हुई। हल्का पटवारी की ड्यूटी निर्वाचन में लगाए जाने की रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थीगण का जवाब अप्राप्त। पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 02/12/21 को पेश हो। [signature]	
12/21)	पत्रावली पेश हुई। प्रतिवादी संख्या 02 की ओर से श्री जुगल कुमार शर्मा एड. ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया तथा श्री जुगल कुमार एड. ने संजय पुत्र शम्भूदयाल, भागवन्ती देवी पत्नी बिल्लू, सिम्भूदयाल पुत्र पोकर निवासीगण जाखोड़ की ओर से वकालतनामा पेश करने पर पत्रावली का अवलोकन किया गया तब पाया की ये उक्त खसरा के रिकॉर्ड खातेदार नहीं है अतः वकालतनामा स्वीकार योग्य नहीं है इनको पार्टी बनने के लिए उचित प्रार्थना पत्र पेश करें। अप्रार्थीगण का जवाब अप्राप्त। न्याय हित में अंतिम अवसर दिया जाता है वास्ते जवाब दिनांक 10-12-21 को पेश हो। [signature]	[signature] ह-पेशकार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की में जारी
10/12/21	पत्रावली पेश हुई। बुलाया फरीकैन उपस्थित अधिवक्तागण का ध्यान आकृष्ट न्यायालय के एक और अवकाश किया गया थी पत्रावली दिनांक 20/12/21 को पेश हो।	[illegible]
20/12/21	पत्रावली पेश हुई बुलाया फरीकैन उपस्थित पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 04/02/22 को पेश हो।	
04/02/22	पत्रावली पेश हुई। बुलाया फरीकैन उपस्थित। माननीय [illegible] एवं प्रति के साथ पेश किया एवं रजिस्टर्ड [illegible] पेश किये एवं अपील के प्रा०पत्र O1-R-10 CPC पेश किया नकल साथ पैरोकार को दिलायी गई। पत्रावली शेष प्रतिउत्तर के साथ हेतु दिनांक 28/02/22 को पेश हो। शामपैरोकार को कोई आपत्ति हो तो नियत दिनांक को पेश करे।	
28/02/22	पत्रावली पेश हुई बुलाया फरीकैन उपस्थित। मूल दावा के निर्णय हो चुका है अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	